

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—अष्टम्, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—555/2026

परिवाद पत्र थाना कांड संख्या—1045सी/2024

अगरजीत शर्मा उर्फ अगरजीत चौपाल एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य

30.04.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्तगण यथा **अगरजीत शर्मा उर्फ अगरजीत चौपाल एवं अंजू देवी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो परिवाद पत्र संख्या—1045सी/2024, अन्तर्गत धारा—82(1), 85, 352, 115(2) बी0एन0एस0 से संबंधित है तथा यह वाद सुश्री राखी कुमारी, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी—प्रथम श्रेणी, सुपौल के न्यायालय में लंबित है।

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से एक आवेदन दाखिल कर कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण विद्वान निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस करने की कृपा की जाय।

सुना। प्रार्थना स्वीकृत किया गया। अतः आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—555/2026 को वापसी आवेदन के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

Sd/-

(तेज प्रताप सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश—अष्टम्, सुपौल